

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं09/आ0-1-39/2015/स्वा0/पटना,..... दिनांक / डा0 जय शंकर प्रसाद, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी-सह-प्रभारी सिविल सर्जन, रोहतास को दिनांक 15.12.15 को 80,000/- (अस्सी हजार रूपए) रिश्वत लेते हुए निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो), के धावादल द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार कर हिरासत में लिये जाने एवं उनके विरुद्ध निगरानी थाना कांड दर्ज होने की सूचना प्राप्त है। है। चूंकि डा0 प्रसाद अपने कर्तव्य के निर्वाह के लिये रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने के कारण हिरासत में है। अतः उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 9(2)(ख) के तहत उनकी गिरफ्तारी की तिथि दिनांक 15.12.15 के प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में डा0 प्रसाद को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-10 के तहत (इनके पूर्व पदस्थापन स्थान से) जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
3. विभागीय कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत किया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/-
सरकार के अवर सचिव,

- ज्ञापांक: 1060 (9) /स्वा0, पटना, दिनांक: 16/12/2015
- प्रतिलिपि:- महालेखाकार, (ले0 एवं ह0) बिहार पटना/ अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें पटना प्रमंडल पटना/सिविल सर्जन रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- उप सचिव निगरानी विभाग, (अन्वेषण ब्यूरो) पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- डा0 जय शंकर प्रसाद, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, (प्रभारी सिविल सर्जन) रोहतास, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवायें बिहार पटना/ के निजी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी 2,3,5,7,8,10, एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : आई0 टी0 मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

16/12/2015
सरकार के अवर सचिव